भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2013

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्कूलों में पेयजल और शौचालय/स्वच्छता

2013. श्री कल्पतरु दासः

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सभी स्कूलों में पेयजल और शौचालय/स्वच्छता उपलब्ध कराए जाने की क्या स्थिति है;

(ख) क्या एक समयबद्ध अवधि में उपर्युक्त सुविधाओं के प्रावधान के लिए इस मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कतिपय निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण भारत, विशेषकर ओडिशा क्षेत्र में इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) शिक्षण हेतु जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार, देश के 95.31 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति की सुविधा है और देश के 94.45 प्रतिशत स्कूलों में शौचालयों की सुविधाएं है।

(ख) से (ड.) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें स्कूल भी शामिल हैं, पेयजल आपूर्ति और शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत और निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उड़ीसा सहित राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2007 से पहले बनाए गए स्कूलों में पेयजलापूर्ति तथा शौचालय का प्रावधान शामिल है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत बनाए गए स्कूलों में एसएसए के अंतर्गत जलापूर्ति तथा शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

हालांकि, एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत इस कार्य के लिए अलग से निधियां चिन्हित नहीं की जाती हैं, तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, उन्हें जारी की गई एनआरडीडब्लूपी (कवरेज) निधियों का उपयोग करके स्कूलों में पेयजलापूर्ति की सुविधाएँ उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 3.10.2012 के आदेश के अनुपालन में न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए स्थिति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने हेतु और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और उसके बाद अनेक अनुस्मारक भी भेजे गए हैं।

निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत भी राज्यों से बार-बार यह कहा गया है कि वे स्कूलों में प्राथमिकता-आधार पर शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराएँ। इस मामले पर विभिन्न समीक्षा बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसों में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता रहा है। स्कूलों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य ग्रामीण स्वच्छता विभागों को एसएसए से जुड़े विभागों के साथ समन्वयन करने को भी कहा गया है।

****